

उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में  
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 221/2022

गुलाब और एक अन्य

..... आवेदन करने वाले

बनाम

उत्तराखण्ड राज्य

.....प्रत्यर्थी

उपस्थित:

श्री राजेन्द्र सिंह आजाद, आवेदकों के अधिवक्ता। सुश्री मनीषा राणा सिंह, राज्य की ए. जी. ए.।

**माननीय रविन्द्र मैठाणी, न्यायाधीश (मौखिक)**

आवेदक गुलाब और हुसैन केस क्राइम No.612 सन 2022 में पुलिस स्टेशन गंगनहर, रुड़की, जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड गोवंश संरक्षण अधिनियम, 2007 ("अधिनियम"), की धारा 3/11 के तहत अग्रिम जमानत चाहते हैं।

2. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।
3. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, आवेदक एक वाहन में गोवंश ले जा रहे थे। जब पुलिस ने वाहन को रुकने का संकेत दिया, तो आवेदक भागने में सफल रहे।
4. आवेदकों के विद्वान वकील ने कहा कि यह गोहत्या का मामला नहीं है, इसके बजाय, आवेदकों ने जानवरों को खरीदा था और वे उन्हें अपने मामा के घर ले जा रहे थे, जब इसे रोका गया। वे मौके से भाग गए ताकि मॉब-लिंगिंग की किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके।
5. विद्वान राज्य अधिवक्ता को आपत्तियां दाखिल करने का समय दिया गया था, जिसे दाखिल नहीं किया गया।
6. न्यायालय ने विद्वान राज्य वकील से जानना चाहा कि अधिनियम की धारा 3/11 के तहत अपराध कैसे बनता है? कत्लेआम का प्रश्न ही कहां है? विद्वान राज्य वकील का कहना है कि आवेदकों के कब्जे से कुछ काटने के उपकरण भी बरामद किए गए थे।
7. विचार करने के बाद, इस न्यायालय का विचार है कि यह एक ऐसा मामला है, जिसमें आवेदकों को अग्रिम जमानत दी जानी चाहिए। तत्काल अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य है।
8. अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
9. गिरफ्तारी की स्थिति में, आवेदकों को जांच अधिकारी ("आईओ") की संतुष्टि के अनुसार, उनमें से प्रत्येक के द्वारा, समान राशि के दो जमानतदारों के साथ एक व्यक्तिगत मुचलका प्रस्तुत करने पर जमानत दी जाएगी। इसके अलावा, आवेदक निम्नलिखित शर्तों का भी पालन करेंगे:

(i) आवेदक जाँच में सहयोग करेंगे।

(ii) आवेदक किसी भी तरह से किसी भी गवाह से संपर्क नहीं करेंगे।

(iii) आवेदक आई. ओ. की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे।

(iv) आवेदक अपने पासपोर्ट आई. ओ. के पास जमा करेंगे। पासपोर्ट मात्र संबंधित अदालत के आदेश से वापस किए जा सकते हैं। यदि आवेदकों के पास पासपोर्ट नहीं है, तो वे आई. ओ. को इस संबंध में एक वचन पत्र देंगे।

(v) आवेदक उपरोक्त (i), (ii) और (iii) पर एक वचन पत्र भी देंगे।

(रवींद्र मैठाणी, जे.)

12.12.2023

रवि बिष्ट